कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 965 /11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 12 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–816/33–1, दिनांक 07.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः हस्ताक्षर युक्त Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में भू–स्वामित्व विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः भू–स्वामित्व विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न किया गया मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
4. रोड चौडीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
5. ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न है। अतः एक समान परियोजना की लागत ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में अंकित करें।
6. हार्डकापी भाग–2 के क्रमाक–7 में बाधक वृक्षों को शून्य दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही बाधक वृक्षों की सं0 हार्डकापी भाग–2 के क्रमाक–7 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
7. ऑनलाइन भाग–2 में CA स्थल का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल 0.77 हे0 फीड करें।
8. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉं प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

V.Fe

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

S.F Gonda 12/9/22

पत्रांकः– 965 /11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, अयोध्या एवं बस्ती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा एवं बस्ती।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में आप नोडल अधिकारी नामित है। अतः तीनों वन प्रभागों का समेकित प्रस्ताव उचित माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

P.T.O

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– 885 / 33–1, दिनॉक, गोण्डा, सितम्बर 12 / 2022

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत प्रस्ताव बिन्दु संख्या 01 से 08 तक लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में पूनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अग्रेषित
12/9/22
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय–वन संरक्षक
देवीपाटन वृ.तं. गोण्डा

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त उ0प्र0, गोण्डा।